प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2024
प्र0सू0रि0सं0.........44....../2024 दिनांक ......11/3/24.......
(I)धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
(II) अधिनियम..धाराऐं ....
(III) अधिनियम..धाराऐं..................................
(IV)अन्य अधिनियम एवं धाराऐं...
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..............61....................समय.........2:40 PM
(ब) अपराध घटने का दिन..........................दिनांक........................समय.......
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक...................................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता – ....
....बीट संख्या.............................जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
पुलिस थाना...जिला....................................
5. परिवादी / सूचनाकर्ता :–सूत्र सूचना
(अ) नाम –
(ब) पिता / पति का नाम
(स) जन्म तिथि / वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता..
(य) पासपोर्ट संख्या.. जारी होने की तिथि...........
जारी होने की जगह..
(र) व्यवसाय...
(ल) पता –
6. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
श्री मोहनराम पूनिया पुत्र श्री बिरजाराम जाति पूनिया बिश्नोई निवासी मेहदा जी की ढाणी, हरिसिंह नगर गिलाकोर, शेरगढ जिला जोधपुर हाल जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर व अन्य
7. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री मोहनराम पूनिया जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर (मोबाईल नं. 9829085875 पेन कार्ड नम्बर AHCPP8770F आधार कार्ड नम्बर 381811916971) पुत्र श्री बिरजाराम जाति पूनिया बिश्नोई निवासी मेहदा जी की ढाणी हरिसिंह नगर गिलाकोर शेरगढ जिला जोधपुर हाल जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर जो वर्ष 28.02.1990 में आबकारी निरीक्षक पद पर नियुक्त होकर विभिन्न पदो पर भिन्न–भिन्न जगहो पर पदस्थापित रहकर समय समय पर पदौन्नत होकर वर्तमान में जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर के पद पर पदस्थापित है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रमती सोहनी देवी (जन्म तिथी 01.01.1967 पेन कार्ड नम्बर DOUPD6290C आधार कार्ड नम्बर 320321453701) के साथ हुआ जो एक ग्रहणी है। श्री

मोहनराम पूनिया के 5 पुत्र है जो श्री सुरेन्द्र प्रताप पूनिया, श्री सत्येन्द्र प्रताप पूनिया, देवेन्द्र प्रताप पूनिया, राजेन्द्र प्रताप पूनिया, जितेन्द्र प्रताप पूनिया है। सबसे बड़ा पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप पूनिया विवाहित है तथा बाकी 4 पुत्र अविवाहित होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पांचो पुत्रो को प्रतिष्ठित स्कुल, शिक्षा, कोचिंग एवं तीन पुत्रो को पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर से एम.बी.बी.एस. की शिक्षा दिलाई गई है। संदिग्ध अधिकारी की जन्मतिथी 01.06.1964 है जिसके अनुसार सेवानिवृति 31.05.2024 को है।

संदिग्ध अधिकारी के वैध आय का स्त्रोत उनका शुद्ध वैतन है, उनकी पत्नी ग्रहणी है तथा समस्त परिवार संदिग्ध अधिकारी की आय पर निर्भर है संदिग्ध अधिकारी की राजकीय सेवा में आम छवि एक भ्रष्ट अधिकारी की रही है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने सेवाकाल में विभिन्न क्षैत्रों की महत्वपूर्ण लोकेशन की परिसम्पतियों में निवेश किया गया है तथा अपने पांचो पुत्रों के अध्ययन पर भी करोड़ो रूपये खर्च किये गये है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने सेवाकाल दिनांक 28.02.1990 से 10.01.2024 तक गोपनीय सत्यापन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अर्जित वैध आय परिसम्पतियां एवं खर्च का स्टेटमेन्ट अ,ब,स व द में निम्नानुसार है :—

प्रपत्र 'अ'

संदिग्ध अधिकारी श्री मोहनराम पूनिया, जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर की नियुक्ति वर्ष 1990 से पूर्व अर्थात आलौच्य अवधि से पूर्व स्वयं व अपने परिजनों के नाम से अर्जित परिसम्पत्तियों का विवरणः—

क्रम सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का अनुमानित मूल्य
1	—	शुन्य

प्रपत्र 'ब'

संदिग्ध अधिकारी श्री मोहनराम पूनिया व संदिग्ध अधिकारी के परिजनों के नाम से चैक अवधि के अन्त में मौजूद परिसम्पत्तियों का विवरणः—

क्र. सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का अनुमानित मुल्य रूपयों में
1	प्लाट संख्या 268 ए लक्ष्मीनगर पावटा बी रोड़ जोधपुर में संदिग्ध अधिकारी स्वयं के नाम खरीदशुदा प्लॉट की अनुमानित कीमत 45,00,000 लाख रूपये एवं रजिस्ट्री शुल्क राशि 3,31,680/— रूपये कुल राशि 48,31,680/—	48,31,680/रूपये
2	फलोदी में स्वय नाम से वर्ष 2009 में कृषि भूमि खरीदी है, जिसकी कीमत संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने सम्पूर्ण अचल सम्पति वार्षिक प्रतिवेदन 1 जनवरी 2024 में 15 लाख रूपये दर्शाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	15,00,000/रूपये
3	फलोदी में संदिग्ध अधिकारी की पत्नी सोहनी देवी व 4 पुत्रों के सयुक्त नाम से वर्ष 1996 में कृषि भूमि 12.9499 हैक्टेयर क्रय करना, जिसका खसरा नम्बर 682/2 है, जिसकी कीमत संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने सम्पूर्ण अचल सम्पति वार्षिक प्रतिवेदन 1 जनवरी 2024 में 25 लाख रूपये दर्शायी गई हैं मगर तत्समय डी.एल.सी. दर 30,800 रूपये होने के कारण जमाबन्दी के अनुसार कुल क्रय की गई 80 बीघा जमीन की कीमत भी लगभग 25 लाख रूपये अनुमानित है।	25,00,000/रूपये
4	मलार तहसील बाप जिला फलोदी में वर्ष 2003 में संदिग्ध अधिकारी की पत्नी सोहनी देवी के नाम खरीद की गयी कृषि भूमि जिसकी कीमत संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने सम्पूर्ण अचल सम्पति वार्षिक प्रतिवेदन 1 जनवरी	8,50,500/रूपये

	2024 में 5 लाख रूपये दर्शायी गयी है। मगर जमाबन्दी के अनुसार कुल क्रय की गयी जमीन 17.0453 हैक्टेयर अर्थात 105 बीघा जमीन की तत्समय प्रचलित डी.एल.सी. दर 8100 प्रति बीघा के हिसाब से क्रय की गई 105 बीघा जमीन की कीमत 8,50,500 रूपये अनुमानित है।	
5	जोधपुर स्थित रहवासी मकान प्लॉट नं. 45 व 46 मंगल विहार आरटीओ कार्यालय के पास जोधपुर में एस.ओ. द्वारा अपनी पत्नी सोहनी देवी के नाम खसरा नम्बर 58/2/7 में जरिये रजिस्ट्री वर्ष 2002 में खरीद किये गये आवासीय भूखण्ड कुल नाप 878 वर्ग मीटर (960 वर्गगज) जिसकी कीमत संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन में उक्त भूखण्डो की कीमत 1,00,000/- लाख दर्शायी गई जबकि उपलब्ध रजिस्ट्री के अनुसार 1,10,000/- रूपये, उक्त जमीन में से 200 वर्ग गज के एक भूखण्ड की कीमत है। प्रोपर्टी रिटर्न के अनुसार उक्त भूखण्ड का माप 878 वर्गमीटर है जिसके अनुसार उक्त भूखण्डो की अनुमानित कुल कीमत एवं पंजियन शुल्क की कुल राशि एवं उक्त भूखण्डो में से 200 वर्ग गज के एक भूखण्ड का जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से पट्टा जारी होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्ति को खरीद करने में 6,16,000/रूपये व्यय करना अनुमानित है।	6,16,000/रूपये
6	जोधपुर स्थित रहवासी मकान प्लॉट नं. 45 व 46 मंगल विहार आरटीओ कार्यालय के पास जोधपुर भदवासिया क्षैत्र में स्थित दो भूखण्डो पर 30X60+30X60=3600 वर्ग फूट पर वर्ष 2022-23 में दो मंजिल का आलीसान मकान निर्माण करवाया गया। जिस पर निर्मित कुल क्षैत्रफल 7500 वर्गफूट के निर्माण पर 90 लाख रूपये व्यय करना अनुमानित है।	90,00,000/रूपये
7	धोलाबाला फलोदी--नागोर रोड़ पर एक आवासीय भूखण्ड जो जिसकी क्रय कीमत एस.ओ. द्वारा अपने सम्पूर्ण अचल सम्पति वार्षिक प्रतिवेदन 1 जनवरी 2024 में दिनांक 23.08.1996 में 1.5 लाख रूपये दर्शाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	1,50,000/रूपये
8	गांव ढढू तहसील व जिला फलोदी में खसरा नम्बर 343/10 में 100 बीघा कृषि भूमि एस.ओ. द्वारा अपनी पत्नी सोहनी देवी, पुत्र सुरेन्द्र व सत्येन्द्र के नाम वर्ष 1994 में क्रय की गयी जमीन की कीमत, एस.ओ. द्वारा अपने सम्पूर्ण अचल सम्पति वार्षिक प्रतिवेदन 1 जनवरी 2024 में 10 लाख रूपये दर्शाना ज्ञात हुआ है, उक्त परिसम्पत्ति की जमाबन्दी के अनुसार 16.1874 हेक्टेयर अर्थात 100 बीघा जमीन की कीमत तत्समय प्रचलित डी.एल.सी. दर 6600 प्रति बीघा के हिसाब से कुल कीमत 6,60,000 रूपये अनुमानित है।	6,60,000/रूपये
9	पटवार हल्का जालोडा के टीकाराम पालीवाल नगर के खसरा नम्बर 710/1 में जमाबन्दी के अनुसार एस.ओ. द्वारा अपने पुत्र श्री सत्येन्द्र के नाम 0.3237 हैक्टेयर अर्थात 2 बीघा जमीन खरीद कर रखी है। उक्त परिसम्पत्ति की अनुमानित कीमत 50,000 रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 2 बीघा की कुल कीमत 1 लाख रूपये अनुमानित है।	1,00,000/रूपये
10	गांव जालोड़ा तहसील व जिला फलोदी में एस.ओ. द्वारा अपने वार्षिक आय प्रतिवेदन में दिनांक 01.01.1993 को कृषि भूमि अपने पिताजी से प्राप्त होना अंकन किया गया है जबकि एस.ओ. मूल निवासी ग्राम मेहदा की ढाणी हरिसिंग नगर तहसील शेरगढ जोधपुर का है अतः उक्त जमीन एस.ओ. द्वारा वर्ष 1993 में अपने पिता के नाम खरीदी गयी है जिसकी कीमत सम्पूर्ण अचल सम्पति वार्षिक प्रतिवेदन 1 जनवरी 2024 में 5 लाख रूपये अनुमानित है।	5,00,000/ रूपये
11	एस.ओ. के नाम से एचडीएफसी खाता संख्या 50100206135950 में दिनांक	23,958/रूपये

	31.12.2023 को शेष राशि	
12	एस.ओ. के नाम से एसबीआई खाता संख्या 31930766567 में दिनांक 25.12.2023 को शेष राशि	22603 / रूपये
13	एस.ओ. के पत्नी सोहनी देवी के नाम से एसबीआई खाता संख्या 51040957188 में दिनांक 25.12.2023 को शेष राशि	9,66,166 / रूपये
14	एस.ओ. द्वारा अपने नाम से दिनांक 17.04.1992 को यूटीआई म्यूचल फण्ड के खाता संख्या 59716443202 में निवेश	60,000 / रूपये
15	एस.ओ. द्वारा अपने नाम से निप्पोन इंडिया म्यूचल फण्ड के खाता संख्या 41147220464 में निवेश	25,000 / रूपये
16	एस.ओ. द्वारा अपनी क्लाईन्ट आईडी नं. 00349641 के द्वारा इडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया व सूजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर क्रय कर निवेश की गयी राशि	45612 / रूपये
17	एस.ओ. के नाम से एसबीआई खाता संख्या 20050651793 में दिनांक 07.01.2024 को शेष राशि	1,72,970 / रूपये
18	एस.ओ. के पुत्र सत्येन्द्र प्रताप पूनिया के नाम से बैक ऑफ बड़ोदा खाता संख्या 47050100004030 में दिनांक 09.01.2024 को शेष राशि	4,09,619 / रूपये
19	एस.ओ. के पुत्र राजेन्द्र प्रताप पूनिया के नाम से सेन्ट्रल ऑफ इंडिया खाता संख्या 5111266299 में दिनांक 10.01.2024 को शेष राशि	1,00,130 / रूपये
	कुल योग	2,25,34,238 / रूपये

प्रपत्र 'स'

संदिग्ध अधिकारी श्री मोहनराम पूनिया एवं उसके परिजनों द्वारा चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण :—

क्रम सं.	अर्जित आय का विवरण	आय रूपये में
1	एस.ओ. श्री मोहनलाल पूनिया की प्रथम नियुक्ति दिनांक 28.02.1990 को आबकारी निरीक्षक पद पर हुई। आबकारी विभाग से गोपनीय सत्यापन किया गया तो वर्ष 1990 में आबकारी निरीक्षक का सकल वेतन 7000 रूपये था, जिसके आधार पर वर्ष 1990 से एस.ओ. को मिलने वाले अनुमानित वेतन की वर्षवार वार्षिक वेतन वृद्धि लगाकर वर्ष 1990 से 2020 तक वेतन से प्राप्त अनुमानित आय 27,36,000 / रूपये	27,36,000 / रूपये
2	एस.ओ. की वर्ष 2011–12 से आज तक की आयकर विवरणिका अनुसार वेतन से प्राप्त शुद्ध आय	83,69,600 / रूपये
3	एस.ओ. के नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 37841673919 पर लिया गया हाउस लोन की कुल राशि 36,00,000 रूपये	36,00,000 / रूपये
4	एस.ओ. की पत्नी सोहनीदेवी के नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 39801569831 पर लिया गया कुल हाउस लोन राशि 24,00,000 रूपये	24,00,000 / रूपये
5	एस.ओ. के नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 31939911767 पर लिया गया कुल केसीसी लोन राशि 98320 रूपये	98,320 / रूपये
6	एस.ओ. के पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह पूनिया की वर्ष 2021–22 की आय राशि 304550 रूपये, 2022–23 की आय 348360 रूपये व 2023–24 की आय 378000 रूपये आयकर विवणिका अनुसार कुल 3 वर्ष की आय राशि	10,30,910 / रूपये

	10,30,910/-- रूपये	
7	एस.ओ. के पुत्र श्री सत्येन्द्र प्रताप सिह पूनिया की वर्ष 2021–22 की आय राशि 352166 रूपये, 2022–23 की आय 409335 रूपये व 2023–24 की आय 416687 रूपये आयकर विवणिका अनुसार कुल 3 वर्ष की आय राशि	11,78,188/रूपये
8	एस.ओ. के पुत्र श्री देवेन्द्र प्रताप सिह पूनिया की वर्ष 2023–24 की आय राशि, आयकर विवणिका अनुसार	3,98,000/रूपये
	योग	1,88,73,893/रूपये

प्रपत्र 'द'

संदिग्ध अधिकारी श्री मोहनराम पूनिया व संदिग्ध अधिकारी के परिजनों द्वारा चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरण:–

कम सं.	किये गये व्यय का विवरण	व्यय रूपये में
1	एस.ओ. का सबसे बड़ा पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप पूनिया की कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक शिक्षा पर किया गया अनुमानित खर्च राशि 1200 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 15 वर्ष की शिक्षा पर खर्च राशि	2,16,000/रूपये
2	एस.ओ. का पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप पूनिया वर्ष 2013–14 में जी.एन.एम. का कोर्स किया गया जिस पर किया गया अनुमानित खर्च	1,50,000/रूपये
3	एस.ओ. का पुत्र श्री सत्येन्द्र प्रताप पूनिया की जन्मतिथी 02.08.1995 है, जिसके कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक शिक्षा पर किया गया अनुमानित खर्च राशि 1500 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 15 वर्ष की शिक्षा पर खर्च राशि	2,70,000/रूपये
4	एस.ओ. का पुत्र श्री सत्येन्द्र प्रताप पूनिया वर्ष 2015–16 में जी.एन.एम. का कोर्स किया गया जिस पर किया गया खर्च	1,50,000/रूपये
5	एस.ओ. का पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप पूनिया की जन्मतिथी 07.07.1998 है जिसके कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक शिक्षा पर किया गया अनुमानित खर्च राशि 2000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 15 वर्ष की शिक्षा पर खर्च राशि	3,60,000/रूपये
6	एस.ओ. का पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप पूनिया द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर में वर्ष 2015 में ए.बी.बी.एस. डिग्री के लिए प्रवेश लेकर एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त की गई जिसकी फीस पेटे 15 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष का 75 लाख एवं हॉस्टल फीस, होस्टल सिक्यूरिटी फीस, लाईब्रेरी फीस, कॉलेज सिक्यूरिटी फीस, स्पोटर्स एवं अन्य गतिविधिया से सम्बन्धित प्रति वर्ष 3 लाख रूपये प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष की फीस राशि 15,00,000 रूपये अर्थात एम.बी.बी.एस. डिग्री के पेटे की गई कुल खर्च राशि 90 लाख रूपये	90,00,000/रूपये
7	एस.ओ. का पुत्र श्री देवेन्द्र प्रताप पूनिया की जन्मतिथी 07.07.1998 है। कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक शिक्षा पर किया गया अनुमानित खर्च राशि 2000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 15 वर्ष की शिक्षा पर खर्च राशि	3,60,000/रूपये
8	एस.ओ. का पुत्र श्री देवेन्द्र प्रताप पूनिया द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर में वर्ष 2015 में ए.बी.बी.एस. डिग्री के लिए प्रवेश लेकर एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त की गई जिसकी फीस पेटे 15 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष का 75 लाख एवं हॉस्टल फीस, होस्टल सिक्यूरिटी फीस, लाईब्रेरी फीस, कॉलेज सिक्यूरिटी फीस, स्पोटर्स एवं अन्य गतिविधिया से सम्बन्धित प्रति वर्ष 3 लाख रूपये प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष की फीस राशि 15,00,000 रूपये अर्थात एम.बी.बी.एस. डिग्री के पेटे की गई कुल खर्च राशि	90,00,000/रूपये

	90 लाख रूपये	
9	एस.ओ. का पुत्र श्री जितेन्द्र प्रताप पूनिया की जन्मतिथी 29.01.2001 है। जिसके कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक शिक्षा पर किया गया अनुमानित खर्च राशि 2500 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 15 वर्ष की शिक्षा पर खर्च राशि	4,50,000 / रूपये
10	एस.ओ. का पुत्र श्री जितेन्द्र प्रताप पूनिया द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर में वर्ष 2019 में ए.बी.बी.एस. डिग्री के लिए प्रवेश लेकर एम.बी.बी. एस. के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत है जिसकी फीस पेटे 17 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष का 85 लाख एवं हॉस्टल फीस, होस्टल सिक्यूरिटी फीस, लाईब्रेरी फीस, कॉलेज सिक्यूरिटी फीस, स्पोटर्स एवं अन्य गतिविधिया से सम्बन्धित प्रति वर्ष 3.10 लाख रूपये प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष की फीस राशि 15,50,000 रूपये अर्थात एम.बी.बी.एस. के अध्ययन में खर्च की गई कुल राशि 1 करोड़ 50 हजार रूपये	1,00,50,000 / रूपये
11	वाहन टीवीएस इलेक्ट्रीक बोव, स्कुटी नम्बर आरजे 19 डीएन 5036 मॉडल 2022 एस.ओ. द्वारा अपने पुत्र सत्येन्द्र पूनिया के नाम खरीद एवं रख रखाव की राशि	1,20,000 / रूपये
12	एस.ओ. स्वयं के नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 37841673919 पर लिया गया हाउस लोन पर चुकायी गयी मूल राशि 1837040 एवं ब्याज राशि 12,66,219 /– रूपये अर्थात कुल राशि 31,03,259 /– रूपये एस.ओ. के खर्च पक्ष में जोड़ा जा रहा है।	31,03,259 / रूपये
13	एस.ओ. की पत्नी सोहनीदेवी के नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 39801569831 पर लिया गया कुल हाउस लोन पर चुकायी गयी मूलराशि 3,86,348 एवं ब्याज राशि 5,40,075 /– रूपये अर्थात कुल राशि 9,26,423 /– रूपये को एस.ओ. के खर्च पक्ष में जोड़ा जा रहा है।	9,26,423 / रूपये
14	एस.ओ. स्वयं के नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 31939911767 पर लिया गया कुल केसीसी लोन पर चुकायी गयी ऋण एवं ब्याज राशि 8,104 /– रूपये को एस.ओ. के खर्च पक्ष में जोड़ा जा रहा है।	8,104 / रूपये
15	आरोपी श्री मोहनराम पूनिया द्वारा किए गए असत्यापन योग्य व्यय का विवरण (एस.ओ. को वेतन से प्राप्त सकल आय प्राप्त आय 1,11,05,600 /– रू. – आयकर 9,37,125 रू. = 1,01,68,475 /– रू. का 1 / 3 भाग) 33,89,492 रूपये	33,89,492 / रूपये
	कुल योग	3,75,53,278 / रूपये

संदिग्ध अधिकारी श्री मोहनराम पूनिया द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1990 से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" मे दर्शाया गया है, जो शुन्य है।

संदिग्ध अधिकारी श्री मोहनराम पूनिया द्वारा चैक अवधि के अन्त में मौजूद परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "ब" मे दर्शाया गया है, जो 2,25,34,238 / रूपये अनुमानति है।

संदिग्ध अधिकारी श्री मोहनराम पूनिया द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1990 से अब तक अर्जित आय का उल्लेख परिशिष्ट "स" मे दर्शाया गया है, जो 1,88,73,893 / रूपये अनुमानति है।

संदिग्ध अधिकारी श्री मोहनराम पूनिया द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1990 से अब तक किये गये व्यय का उल्लेख परिशिष्ट "द" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल 3,75,53,278 / रूपये

व्यय करने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री मोहनराम पूनिया व उसके परिवारजनों की चैक पिरियड वर्ष 1990 से अब तक के ज्ञात स्त्रोतों से प्राप्त आय 1,88,73,893/रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य 2,25,34,238/रूपये एवं व्यय राशि 3,75,53,278/रूपये पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 6,00,87,516 /रूपये में से अर्जित आय 1,88,73,893/रूपये को घटाने पर 4,12,13,623/रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 218 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न ठिकानों (1) मकान नम्बर 45 व 46 मंगल विहार कॉलोनी, आरटीओ कार्यालय के पास जोधपुर, (2) राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविधालय रानीसर बास बीकानेर के पिछे स्थित श्री पार्थ शर्मा पुत्र श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट के नाम रहवासिय भवन (श्री कृष्ण) की तृतीय मंजील पर स्थित संदिग्ध अधिकारी द्वारा लिया गया किराये पर फ्लैट (3) कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सर्वोदय प्राईवेट आईटीआई कॉलेज तारापन्ना भवन रानीसर के पास वाली गली बीकानेर व अन्य की यदि तलाशी ली जाती है तो कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री मोहनराम पूनिया पुत्र श्री बिरजाराम जाति पूनिया बिश्नोई निवासी मेहदा जी की ढाणी, हरिसिंह नगर गिलाकोर, शेरगढ जिला जोधपुर हाल जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर व अन्य के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने एवं अर्जित करने में सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। अतएव आरोपीगणों के उक्त कृत्य से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) आईपीसी का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
विशेष ईकाई जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) आईपीसी में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त श्री मोहनराम पूनिया पुत्र श्री बिरजाराम जाति पूनिया बिश्नोई निवासी मेहदा जी की ढाणी, हरिसिंह नगर गिलाकोर, शेरगढ जिला जोधपुर हाल जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर व अन्य के विरूद्ध अपराध संख्या 44/2024 दिनांक 11.03.2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

11/3/24

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :– 209–14 दिनांक :–11.03.2024

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, क्रम संख्या–1 जोधपुर
2. प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव आबकारी विभाग, राज0 जयपुर
4. आयुक्त आबकारी विभाग, उदयपुर
5. उपमहानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर
6. श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण।

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर